अनुसूची–14 फर्म सं0–563

ओदश की क्र0सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

20.01.19

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्त्ता,गुमला

दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 – 03/2017–18

सफीक अंसारी ..... अपीलार्थी

बनाम

अतिका परवीन ..... प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद सफीक अंसारी, पिता – स्व0 जहीर अंसारी, निवास ग्राम – उस्ताद मुहल्ला थाना रोड़, गुमला, जिला – गुमला के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या – 1016 R 27/2012–13 में दिनांक – 22.12.2013 को पारित आदेश से विछुब्ध हो कर अपील दायर किया गया है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
गुमला	104	509	0.02 एकड़

अपील आवेदन के आलोक में संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी, गुमला से मूल अभिलेख का मांग किया गया।

प्रथम पक्ष का बहस/लिखित बहस :– प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आवेदन के आलोक में यह बतलाया गया कि वर्ष – 1966–67 में अपीलार्थी को बंटवारा के आधार पर उक्त भूमि प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी की पुत्री अजमेरी खातुन का विवाह नदीम अहमद से होने के उपरान्त आर्थिक स्थिति ठीक नही रहने के कारण उसी हिस्से के पुराने मकान में रह कर उसे फिर से नया पक्का मकान का निर्माण

किया गया।

अपीलार्थी की पुत्री अजमेरी खातुन की मृत्यु दिनांक – 15.12.2011 के उपरान्त विवाद अधिक हो जाने के कारण दिनांक – 21.06.2013 को मोमिन पंचायत का बैठक किया गया। तत्पश्चात दिनांक – 22.06.2014 को स्व0 अजमेरी खातुन के पति नदीम अहमद को 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार) रूपये दे दिया गया और अब अपीलार्थी का वादग्रस्त मकान में दखल–कब्जा है, परन्तु वर्ष – 2012 में लगान कटाने गया तो उन्हे जानकारी हुई कि नदीम अहमद व अपनी पुत्री अतिका परवीन के नाम सादा बक्शीसनामा के आधार पर नामान्तरण करा लिया गया है, जो गलत है।

वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा है तथा बिना सहमति के नामान्तरण कराया गया है। अतएव उक्त नामान्तरण वाद को निरस्त किया जाय।

दाखिल किये गये साक्ष्य :–

1. J.L.J.R – 2007 (2) Page 183 (SC) रूलिंग की छायाप्रति।
2. लिखित बहस।
3. पंचायती कागज – 21.06.2013

द्वितीय पक्ष का बहस/लिखित बहस :– द्वितीय पक्ष का बहस, लिखित बहस अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बात लाया गया कि प्रतिवादी अतिका परवीन महज 8 या 9 वर्ष की है जिसके विरूद्ध मुकदमा लाया गया है। प्रतिवादी अपीलार्थी की नातिन है तथा प्रतिवादी के माता–पिता का निधन हो चुका है। उनके अभिभावकों की मृत्यु के पश्चात अपील दायर किया गया है जो सी0 पी0 सी0 के विपरीत है। एक नाबालिग पर मुकदमा किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अपीलार्थी सफीक अंसारी द्वारा नदीम अहमद को 3,50,000

(तीन लाख पचास हजार) रूपये दिये जाने की बात है को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी का कहना है कि मकान बनाने का खर्च इंजिनियर रिर्पोट के मुताबिक 6,08,686 रूपये होता है। अतः किस एवज में रूपया दिया गया था इसका कोई जिक्र भी नहीं है चूँकि खाता, प्लॉट, रकबा या भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि नदीम के मृत्यु के उपरान्त फर्जी कागजात बनाकर प्रस्तुत किया गया है जिसका उनके पिता – मो0 अहमद हुसैन को भी कोई जानकारी नहीं है, न ही अंजुमन की बैठक की जानकारी है।

इस प्रकार प्रतिवादी अतिका परवीन के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके परवरिश अपने दादाजी के घर में हो रहा है साथ ही नाबालिग होने के कारण अपील खारिज किया जाय।

दाखिल किया गया साक्ष्य :–

(i) सी0 पी0 सी0 का आदेश 7 नियम 1(घ) की छायाप्रति।

(ii) गैर न्यायिक में किया गया बक्शीसनामा की छायाप्रति।

(iii) भवन निर्माण संबंधी स्टीमेट की छायाप्रति।

(iv) प्रतिवादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(v) नगरपालिका द्वारा निर्गत होलडिंग टेक्स की छायाप्रति।

(vi) करेक्शन स्लीप एवं लगान रसीद की छायाप्रति।

सरकारी अधिवक्ता (GP) का मन्तव्य :– निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने योग्य है संबंधी मन्तव्य समर्पित किया गया है।

समीक्षा :– इस वाद की सुनवाई के दौरान उत्तरवादी न्यायालय में निर्धारित तिथि को उपस्थित हुई जो नाबालिग है तथा पूछे जाने पर अपने दादाजी द्वारा परवरिश किये जाने एवं साथ रहने की बात स्वीकार की है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकलन से ज्ञात होता

है कि स्थल जाँच एवं सादा बक्शीसनामा के आधार पर जमाबंदी कायम किया गया है, तथा अपीलार्थी को कोई पुत्र नहीं होने के कारण सम्भवतः अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा उत्तराधिकारी दाखिल–खारिज स्वीकृत कर जमाबंदी कायम किया गया है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त समीक्षा से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि:–

प्रथम :– बक्शीसनामा पट्टा के आधार पर निम्न न्यायालय में जमाबंदी कायम हुआ है जो कानूनन सही नही है। अतः उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है।

द्वितीय :– चूँकि अतिका परवीन नाबालिग है और अपीलार्थी की स्व0 पुत्री की एकमात्र संतान है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी का भरण–पोषण का सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपीलार्थी को सौंपती है तथा अपीलार्थी के बाद अतिका परवीन के बालिग होने के पश्चात मौजा – गुमला, खाता संख्या – 104, प्लॉट संख्या – 509, रकबा – 0.02 एकड़ पर प्रतिवादी अतिका परवीन का मालिकाना हक होगा।

वाद स्वीकृत।

लेखापित

20/02/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

20/02/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।